न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश,

सर्किट कोर्ट, रीवा, (म.प्र.)

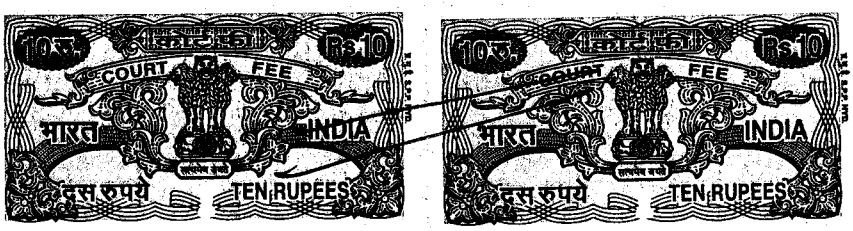

Rs. 20/-

553
12.9.14

R-3357-III/14

महताब कुमारी सिंह पुत्री रामभान सिंह, निवासी बेनी पुरवा, थाना/तहसील गुढ़, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता

बनाम

1. बद्री प्रसाद केवट तनय भैयालाल केवट, निवासी ग्राम बौलिहा, थाना/तह. गुढ़, जिला रीवा, (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन।

.... गैर निगरानीकर्तागण

श्री. राकेश कुमार सिंह एड के द्वारा आज दिनांक 12-9-14 प्रस्तुत किया गया।

रीडर

सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3092

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ________ को प्राप्त

22-9-14

क्लर्क ऑफ कोर्ट,

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार महोदय, तहसील गुढ़, जिला रीवा, (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 11/अ–12/2013–13, आदेश दिनांक 16.07.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है :–

1. यह कि गैर निगरानीकर्ता क्र. 1 बद्री प्रसाद केवट के द्वारा ग्राम बौलिहा, तहसील/थाना गुढ़, जिला रीवा के द्वारा आराजी नं. 94 रकबा 1.489 हेक्टे., स्थित ग्राम टेढ़िहा, तहसील गुढ़ के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें गैर निगरानीकर्ता क्र. 1 के द्वारा प्रस्तुत चौहद्दी में उत्तर तुलसीराम चतुर्वेदी एवं ललित पटेल, दक्षिण महताब कुमारी सिंह,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3357–तीन/2014 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश महताब कुमारी/बद्री प्रसाद	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24 –11–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर विचार किया जा रहा है । निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक–16.7.2014 की प्रमाणित प्रति संहित सीमांकन कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश से सर्वे कमांक–94 ग्राम ढोढिया की सीमांकन रिपोर्ट को स्वीकृत किया गया है । प्रकरण के संलग्न राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक–24.6.14 के अवलोकन से पाया गया है सीमांकन 4.5.14को किया गया हैं । सूचना पत्र दिनांक–29.4.14 एवं पंचनामा दिनांक–4.5.14 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि पंचनामा एवं सूचना पत्र में निगराकार महताबकुमारी के हस्ताक्षर नहीं है, उनको सूचना पत्र जारी किया गया और फील्ड बुक दिनांक 24–6–14 में उन्हें बतौर अतिकामक दर्शाया गया है, जबकि निगरानी मेमों में लिखे अनुसार वे सरहदी कृषक होने के कारण हितबद्ध पक्षकार हैं। इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा भी सीमाकन की पुष्टि एवं सीमांकन स्वीकृति आदेश से पहले निगराकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि की गयी सीमांकन कार्यवाही में सरहदी कृषक/हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने से संबंधित नैसर्गिक न्याय एवं विधि की प्रकियाओं का पालन नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । प्रकारण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्षकारों सहित समस्त सरहदी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए स्थायी बन्दोबस्ती सीमा चिन्हों से सीमांकन की कार्यवाही इस आदेश दिनांक से तीन माह में पूर्ण करें । पुनः सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण होने तक पूर्व में की गयी सीमांकन कार्यवाही स्थगित रहेगी । पक्षकारों को भी आदेशित किया जाता है कि वे इस आदेश की संसूचना के एक माह के अंदर संबंधित न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर सीमांकन कार्यवाही में न्यायालय का सहयोग करें । पूर्व में की आक्षेपित सीमांकन का आदेश अपास्त किया जाता है । उक्त निर्देशो के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	